झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/पी0एम0सी0/विविध/597/13............../राँची, दिनांक–..........................

शुद्धि पत्र

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं०–1/पी0एम0सी0/विविध/597/13–3086 राँची दिनांक–12.06.2013 द्वारा सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना अन्तर्गत विभिन्न प्रक्षेत्र, अंचलों एवं प्रमण्डलों का पुर्नगठन किया गया है। कतिपय प्रमण्डलों का मुख्यालय के शिविर को परिवर्तित किया गया है। जिसके कारण संबंधित कार्यालय का मुख्यालय एवं कोषागार स्थानान्तरित होने की स्थिति हो गई हैं, और कार्य बाधित है।

अतः कार्यहित में उपर्युक्त अधिसूचना में निम्नलिखित शुद्धि संसूचित की जाती है :–

1. पुर्नगठित किये गये प्रमण्डलो का नाम पुर्नगठन के पूर्व की तरह यथावत् रहेगा।
2. प्रमण्डलों के कोषागार में कोई बदलाव नहीं होगा एवं पूर्व की भाँति रहेगा।
3. प्रशासनिक नियंत्रण विभागीय अधिसूचना सं०–3086 दिनांक–12.06.2013 के अनुसार ही रहेगा।
4. प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश सं०–915 दिनांक–27.06.2013, इस हद तक संशोधित समझी जायेगी एवं कार्यक्षेत्र का किया गया बँटवारा उपर्युक्त आदेश के अनुरूप रहेगा।

यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से लागू समझी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

पत्रांक–1/पी0एम0सी0/विविध/597/13............../राँची, दिनांक–..........................

प्रतिलिपिः– अधीक्षण राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी0डी0 सहित) राजपत्र को अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित किया जाय।

ह०/–
(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

पत्रांक–1/पी0एम0सी0/विविध/597/13 4221/राँची, दिनांक– 27.7.13

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर को उनके पत्रांक–85 (गो॰) दिनांक–08.05.2013 के प्रसंग में/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ माननीय मंत्री, जल संसाधन के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी उप सचिव/अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह कम्पलेक्स/मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/वेब/इन्फारमेसन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/13

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Sudhi Patra\Corrigedum.doc